न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर०ए०एस०)

अपील संख्या 53/2019

ओमप्रकाश पुत्र जगन आयु 40 वर्ष जाति गुर्जर निवासी नगला बंजारा बस्त्रावली तहसील बयाना जिला भरतपुर

........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 20.06.2019 पत्रावली संख्या 15/2019 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री चौबसिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 24.02.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 20.06.2019 पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 538 रकवा 0.25 है0 में से 0.05 है0 पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 538 रकवा 0.25 है0 की किस्म भूमि बंजड चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यहां कभी भी चारागाह भूमि नहीं रही है और न ही अपीलान्ट ने दिनांक 11.06.2019 या इससे पूर्व अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट का पक्का मकान पूर्वजों के समय से बना हुआ है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध वर्ष 2001 में 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के यहां अपील की गई थी उन्होने धारा 91 की कार्यवाही को ड्रोप करते हुये भूमि का आबादी विस्तार करने के आदेश दिये थे। ग्राम पंचायत पालीडांग ने ग्राम पंचायत की सभा में दिनांक 14.04.2013 को उक्त भूमि के लिये प्रस्ताव पारित किया कि चारागाह भूमि के स्थान पर आबादी मे परिवर्तन करने के लिये ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि उक्त भूमि में बने हुये मकानों मे बिजली के कनैक्शन राज्य सरकार द्वारा दिये गये है जिसके बिल का भुगतान अपीलान्ट बहुत समय से करता चला आ रहा है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि तहसीलदार बयाना दिनांक 22.02.2001 को इस भूमि को आबादी हेतु अपीलान्ट के पक्ष में नियमन करने की सिफारित की गई थी। विवादित भूमि पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। मुताविक रिपोर्ट पटवारी हल्का विवादित आराजी खसरा नम्बर 538 रकवा 0.25 है0 वाकै ग्राम बरत्रावली किस्म चारागाह में से 0.05 है0 पर पक्का मकान व बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है। तहत न्यायालय की पत्रावली में न्यायालय तहसीलदार बयाना के निर्णय दिनांक 15.02.2001 की छायाप्रति उपलब्ध है जिसमें न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय अनुसार आबादी के प्रस्तावों का उल्लेख है। प्रथम तो यह प्रति छायाप्रति होने के कारण रिकार्ड पर लिये जाने योग्य नहीं है तथापि इसे रिकार्ड पर मान भी लिया जाये तो भी जब तक विवादित आराजी का नियमन न हो जावे तब तक उस पर किसी भी प्रकार का कब्जा/अतिक्रमण की श्रेणी में है। अतः ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.06.2019 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण कोई हस्तक्षेप नहीं करना उचित समझते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है साथ ही तहसीलदार बयाना को यह यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि अतिक्रमण आवादी विस्तार किये जाने योग्य तो उसके संदर्भ में पृथक से कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार बयाना की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)